

B. A (Hons) Part III
Philosophy - Paper VI
Topic - Doctrine of Trusteeship
Dr. Sachidanand Basad.
R. R. S. College, Moramba.

(1)

महात्मा गाँधी की आर्थिक विचारधारा उनके दार्शनिक और सामाजिक विचारों पर आधारित है। महात्मा गाँधी का कहना है कि समाज के हित में व्यक्ति का हित निहित है। फिर उनका यह भी कहना था कि मनुष्य और मशीन में मनुष्य का महत्व अधिक है क्योंकि मशीन मनुष्य के कल्याण का एक साधन है। गाँधीजी के अनुसार आजीविका के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम आवश्यक है। मजदूर, किसान अथवा कारीगर का जीवन जेठ मानने हुए शारीरिक श्रम को उन्होंने सर्वोत्कृष्ट माना है। इसके अलावे उन्होंने वैश्विक श्रम को भी काफी महत्व दिया है जो कि कहा है कि शारीरिक श्रम से शरीर की सूख मिटती है और वैश्विक श्रम से मन की इसलिए अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक मूल्यवान है। गाँधीजी का कहना है कि उत्पादन प्रणाली मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। वैसी उत्पादन प्रणाली जिससे जनता का शोषण हो और सम्पत्ति कुछ व्यक्तिओं के हाथ में हो यह सही नहीं है। वितरण के संवद में उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही संयुक्त तथा व्यय करना चाहिए जितना उसकी तत्काल आवश्यकता हो इसलिए उन्होंने अत्यंत और अपीग्रह जैसे सदगुणों को मानव के लिए आवश्यक माना है।

(9)

उपभोग के संबंध में महात्मा गांधी का विचार उनके नैतिक और धार्मिक विचारों पर आधारित है। उनका कहना है कि बलुओं के उपभोग के विषय में गुरुणा को संयमी होना चाहिए जिसे गांधीजी ने "सीमा - सिद्धान्त" कहा है। गांधीजी का संरक्षणा का सिद्धान्त काल्पनिक ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। पूँजीवादी व्यवस्था की विशेषता है कि यह सीमांती सम्पत्ति पर स्वामित्व का अपिमानकारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति का निर्माण कर सकता है और वह सम्पत्ति उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है। समाजवाद पूँजीवाद का विरोधी सिद्धान्त है। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति तथा उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की स्थापना का समर्थन करता है। महात्मा गांधी का सम्पत्ति - संबंध विचार उनके इन दोनों से भिन्न है। गांधीजी पूँजीपति तथा श्रमिकों को एक इंसान का विरोधी नहीं मानते वे जानते हैं उनका कहना था कि दोनों एक इंसान के दो हिस्से हैं क्योंकि पूँजीपति बिना श्रमिकों की सहायता के सम्पत्ति नहीं बना सकता है और न श्रमिक बिना पूँजीपति के काम चला सकता है इसलिए वे परस्पर एक इंसान के दो हिस्से हैं।

गोपनीयता सभा की विषयगतों को कहें। (13)
और ऐन के माध्यम से हल बना सकते हैं।
अपने प्रमुख सिद्धांत Trusteeship में उन्होंने
बतलाया है कि आपकी आवश्यकताओं की
पूर्ति कर लेने के बाद जो धन बचता है
उसका धनी व्यक्ति को सभा की ओर से
संरक्षक (Trustee) बन जाना चाहिए। सभा
तथा धन के संरक्षण से यह विचार इस माध्यम
पर आधारित है कि सारी सम्पत्ति ईश्वर
की है इसलिए निजी सम्पत्ति का कोई
अर्थ नहीं है और उसके भ्रमपूर्ण उपयोग
करने की दूर निजी व्यक्ति को नहीं दी
जा सकती है। इसलिए आपकी आवश्यकताओं
पूर्ति कर लेने के बाद बचा हुआ धन सभा
के हित में रक्षित करना चाहिए। और इस
सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति सम्पत्ति का
स्वामी न होकर संरक्षक है। गोपनीयता
ने अपने सिद्धांत में सभा को महत्वपूर्ण
माना है। अपने सीमा सिद्धांत में उन्होंने
बतलाया है कि शरीर भोग प्राप्ति के लिए नहीं
वर्षिक सेवा के लिए प्राप्त हुआ है इसलिए
आवश्यकता को सीमित किया जाना चाहिए
गोपनीयता के अनुसार संग्रहीत जीवन उपरी त
करते हुए यदि कोई धन कमाये और औरों
से अपनी आवश्यकता पूर्ति करके जो धन
वह उसका संरक्षक बन जाये तो सभा से
विषमता हल हो जायेगी। संगठित आवश्यकताओं
की पूर्ति के बाद जो धन बचेगा वह
सभा कल्याण के लिए रक्षित होगा।